(351)

विलोपित

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 ~~विविध~~ निगरानी-2661/2018/सिंगरौली/भू.रा.

बिट्टी तेली पुत्र जदुक तेली निवासी ग्राम बिड़रवाह तहसील व जिला सिगरौली म.प्र.

——— आवेदक

श्री S.P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि० 1-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली

——— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्र.क. 48/अ—74/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि आवेदन पत्र प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम बिड़रवाह तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के तहत् प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण कमांक 48/अ—74/2015—16 पर पंजीवद्ध किया किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम बिड़रवाह तहसील सिंगरौली की भूमि सर्वे नं. 734 के अंश भाग रकवा 1.80 हेक्टर पर आवेदक को अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज करने का आदेश हुआ था। उक्त आदेश पारित करने के बाद

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2661/2018/सिंगरौली/भू.रा.

बिट्टी तेली विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री सतेन्द्र धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार सिंगरौली, जिला–सिंगरौली के प्र. क्र. 48/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–01–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	